झारखण्ड सरकार,
<u>कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।</u>
:: *संकल्प* ::

2863
02/05/18

<u>कृपया पढ़ें</u> :-

1. उपायुक्त, दुमका का पत्रांक–783/वि0, दिनांक 08.12.2006 एवं पत्रांक–264/स्था0, दिनांक 04.02.2013
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–5508, दिनांक 24.06.2013; संकल्प सं0–9600, दिनांक 28.09.2013; पत्रांक–4867, दिनांक 07.06.2013; संकल्प सं0–9605, दिनांक 28.09.2013; पत्रांक–9878, दिनांक 23.11.2016; पत्रांक–5983, दिनांक 05.05.2017; पत्रांक–10954, दिनांक 31.10.2017 एवं पत्रांक–1418, दिनांक 21.02.2018
3. संचालन पदाधिकारी का पत्रांक–628, दिनांक 31.12.2015
4. सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का पत्रांक–863, दिनांक 06.04.2018

श्री सिद्धार्थ शंकर चौधरी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–841/03), अवर सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड राँची के विरूद्ध इनके अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा, दुमका एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शिकारीपाड़ा, दुमका के पद पर कार्यावधि से संबंधित दो आरोप प्रपत्र–'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया है। इनके प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शिकारीपाड़ा, दुमका से संबंधित आरोप उपायुक्त, दुमका के पत्रांक–783/वि0, दिनांक 08.12.2006 द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं–

<u>*आरोप सं0–1–*</u> प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के द्वारा दिनांक 12.02.2004 को प्रखण्ड कार्यालय, शिकारीपाड़ा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि आपके द्वारा SGRY स्ट्रीम–1 22.5% अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभ की 111 योजनाएँ ली गयी है, सभी योजनाएँ मरम्मति की हैं, जैसे सिंचाई कूप मरम्मति, तालाब मरम्मति, भूमि समतलीकरण आदि। सभी योजनाओं का प्राक्कलन एक ही कनीय अभियंता श्री रामेश्वर मिस्त्री द्वारा तैयार कराया गया है। जबकि योजना पूरे प्रखण्ड में फैली है। यह प्राक्कलन बिना स्थल भ्रमण किये ही तैयार किया गया है, जो बिल्कुल फर्जी है। किसी भी प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं किया गया है। इन फर्जी प्राक्कलन पर कार्य कराना घोर वित्तीय अनियमितता है। इन योजनाओं में बड़े पैमाने पर अग्रिम का भुगतान किया गया है। तालाब मरम्मति की फर्जी प्राक्कलित राशि

20,000/– (बीस हजार) रूपये के विरूद्ध 10,000/– (दस हजार) रूपये, कूप मरम्मति की फर्जी प्राक्कलित राशि 10,000/– (दस हजार) रूपये के प्राक्कलन के विरूद्ध 5,000/– (पाँच हजार) रूपये का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है। साथ ही, आपके और कनीय अभियंता श्री रामेश्वर मिस्त्री के मिलीभगत से इन योजनाओं के लिए उपलब्ध राशि 11.97 लाख के गबन/दुरूपयोग का भी आरोप है।

<u>*आरोप सं0–2–*</u> निरीक्षण के दौरान अभिलेखों के अवलोकन से यह भी पाया गया है कि लाभुकों के द्वारा कुआँ तालाब की मरम्मति के लिए जो आवेदन पत्र दिये गये हैं, अभिलेख में उस भूमि का प्लाट संख्या, खाता संख्या जिस पर वे अवस्थित हैं, उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार आपके विरूद्ध सरकारी नियमों के उल्लंघन का मामला बनता है।

<u>*आरोप सं0–3–*</u> निरीक्षण टिप्पणी में यह भी आरोप है कि अभिश्रव के रूप में इस प्रखण्ड में बहुत बड़ी राशि 11,58,016/– (ग्यारह लाख अन्ठावन हजार सोलह) रूपये सन्निहित है। इस राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। आपके द्वारा मनमाने ढंग से अन्य मदों की राशि विचलन द्वारा खर्च किया गया है। यह वित्तीय नियमों के प्रतिकूल है। आपके द्वारा अपने हित में सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया है तथा सरकारी राशि का मनमाने तरीके से व्यय किया गया है। आपका यह कृत्य सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियमों के विपरीत है। सरकारी राशि के व्यय पर मितव्ययता बरतना आपका कर्त्तव्य था, आपने इसके विपरीत कार्य किया है, जो बिहार विविध नियमावली तथा बिहार कोषागार नियमावली के नियमों के विपरीत कार्य है।

<u>*आरोप सं0–4–*</u> आपने मनमाने ढंग से अग्रिम की राशि विभागीय एजेंसियों/सरकारी सेवकों को दिया। अग्रिम दिये जाने में आपने सरकारी परिपत्रों को ध्यान में नहीं रखा।

2. उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक–5508, दिनांक 24.06.2013 द्वारा श्री चौधरी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में इन्होंने पत्रांक–993/ध0नि0नि0, दिनांक 05.08.2013 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया। समीक्षोपरांत इनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–9600, दिनांक 28.09.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. श्री चौधरी के अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा, दुमका से संबंधित आरोप उपायुक्त, दुमका के पत्रांक–264/स्था0, दिनांक 04.02.2013 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं–

"प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के द्वारा दिनांक 12.02. 2004 को अंचल कार्यालय, शिकारीपाड़ा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि सहाय्य जलाशय योजना वर्ष 2003–04 में शिकारीपाड़ा अंचल में कुल 241 चिरागी ग्रामों हेतु 100 x 100 x 10 आकार के एक–एक जलाशय योजना के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु इस अंचल को 1,68,70,000.00 का आवंटन उपलब्ध कराया गया था। जलाशयों का निर्माण ग्राम विकास समिति के माध्यम से कराया जाना था। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि आपने जलाशय के निर्माण पर 1,56,39,200.00 का व्यय प्रतिवेदित किया था। परन्तु उसके विरूद्ध प्राप्त की गई भौतिक प्रगति के संबंध में निश्चित रूप से यह नहीं बताया गया कि कितनी योजनाएँ कार्य प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण क़र लिया गया है एवं कितनी जलाशयों में कार्य प्रगति पर है। यह पाया गया कि प्रत्येक योजना में बार–बार अग्रिम दिए गए हैं परन्तु द्वितीय एवं आगे के अग्रिमों की स्वीकृति करते वक्त आपके द्वारा किसी भी तकनीकी पदाधिकारी से योजना की नापी का प्रतिवेदन अभिलेख पर प्राप्त नहीं किया गया। आपके द्वारा प्रखण्ड के किसी कनीय अभियंता को मापी पुस्तिका नहीं उपलब्ध करायी गयी, स्पष्ट है कि अंचलाधिकारी के द्वारा 1,56,39,200.00 का अग्रिम विभिन्न विकास समितियों को बिना यह बात सुनिश्चित किए कि उनके द्वारा पूर्व में लिए गए अग्रिम के बराबर कार्य सम्पादित कर लिया गया है या नहीं, दिया गया है। अंचलाधिकारी की भ्रष्टाचारपूर्ण कार्रवाई के कारण जलाशय निर्माण की योजना अधर में लटक गई और बहुमूल्य सरकारी राशि का अप्रत्याशित पैमाने पर अव्यय एवं दुरूपयोग किया गया। जलाशय के निर्माण में अप्रत्याशित पैमाने पर अनियमितताएँ बरती गई है। निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए अग्रिम दिए गए हैं। इस बात की परवाह नहीं की गई है कि कार्य हुए या नहीं। जलधारा योजना के अन्तर्गत 1996–97 में बंद कर दी गई योजनाओं को आपके द्वारा स्वार्थसिद्धि के लिए अपने स्तर से प्रारंभ करा दिया गया एवं अंचल खाते में पूर्व से उक्त योजना के अधीन उपलब्ध 5,87,924.00 रूपये के बंदरबाँट की कार्रवाई की गई। अंचल अधिकारी के द्वारा उपायुक्त से भी 1996–97 से बंद योजनाओं को फिर से चालू करने के लिए अनुमति नहीं ली गई। पहले से पुरानी योजनाओं पर 6–7 वर्षों के अंतराल के बाद निर्माण प्रारंभ किया जाना अंचल अधिकारी के भ्रष्टाचार

का ज्वलंत उदाहरण है। यह कार्य खाते में उपलब्ध 5,87,924.00 रूपये के गबन करने के नियत से प्रारंभ किया गया।"

4. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–4867, दिनांक 07.06.2013 द्वारा श्री चौधरी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में इन्होंने पत्रांक–994 / ध0नि0नि0, दिनांक 05.08.2013 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया।

5. समीक्षोपरांत इनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–9605, दिनांक 28.09. 2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

6. श्री अशोक कुमार सिन्हा, विभागीय जाँच पदाधिकारी–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–628, दिनांक 31.12.2015 द्वारा समेकित जाँच–प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री चौधरी के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से संबंधित आरोप संख्या–1, 2, 3 एवं इनके अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा की कार्यावधि से संबंधित आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

7. श्री चौधरी के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव–बयान एवं विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त, प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–14(vi) के अन्तर्गत इनकी चार वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए विभागीय पत्रांक–9878, दिनांक 23.11.2016 द्वारा श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी, परंतु स्मारित करने के बाद भी इनका उत्तर अप्राप्त रहा।

8. इसी बीच, मुख्य सचिव, झारखण्ड द्वारा इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप में फर्जी स्वीकृति–अग्रिम की पुष्टि होने के कारण मामले की गंभीरता के परिप्रेक्ष्य में दण्ड प्रस्ताव को पुनर्समीक्षा करने का आदेश दिया गया।

9. उक्त आदेश के आलोक में मामले की पुनर्समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि इनके विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और इनके कृत्य से सरकार को आर्थिक क्षति हुई है। अतएव पूर्व में प्रस्तावित दण्ड को पुनर्समीक्षा करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–14(viii) के तहत् पदावनति की शास्ति निम्न शर्तों के साथ अधिरोपित करने हेतु द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया–

(i) इनको मूल कोटि (वेतनमान–P.B.-II, 9300–34800/–ग्रेड पे0 5400, पुनरीक्षित वेतनमान– लेवल–9) में पदावनत किया जायेगा।

(ii) मूल कोटि में पदावनत की अवधि 10 (दस) वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इसका प्रभाव समाप्त होने के पश्चात उच्चतर पद/कोटि में प्रोन्नति हेतु विहित कालावधि पूर्ण करने पर उच्चतर पद/कोटि में प्रोन्नति हेतु नियमानुसार विचार किया जा सकेगा।

(iii) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2003 की मूल वरीयता में इनकी वरीयता अप्रभावित रहेगी।

10. तद्नुसार, विभागीय पत्रांक–10954, दिनांक 31.10.2017 द्वारा श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर अप्राप्त रहने पर अंतिम अवसर देते हुए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पुनः 7 दिनों के भीतर द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर अंतिम रूप से समर्पित करने का अनुरोध किया गया।

11. श्री चौधरी के ज्ञापांक–1723, दिनांक 28.11.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया, जिसके आलोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, इनके द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए इनके विरूद्ध उपर्युक्त कंडिका–9 में अंकित शर्तों के अधीन पदावनति की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

12. श्री चौधरी के विरूद्ध पदावनति का दण्ड अधिरोपित करने हेतु विभागीय पत्रांक–1418, दिनांक 21.02.2018 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गयी, जिसके आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक–863, दिनांक 06.04.2018 द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

13. अतः श्री सिद्धार्थ शंकर चौधरी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–841/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा, दुमका एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शिकारीपाड़ा, दुमका, सम्प्रति–अवर सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड राँची के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–14(viii) के तहत् पदावनति की शास्ति निम्न शर्तों के साथ अधिरोपित किया जाता है :–

(i) इनको मूल कोटि (वेतनमान–P.B.-II, 9300–34800/–ग्रेड पे0 5400, पुनरीक्षित वेतनमान– लेवल–9) में पदावनत किया जायेगा।

(ii) मूल कोटि में पदावनत की अवधि 10 (दस) वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इसका प्रभाव समाप्त होने के पश्चात उच्चतर पद/कोटि में प्रोन्नति हेतु विहित

कालावधि पूर्ण करने पर उच्चतर पद/कोटि में प्रोन्नति हेतु नियमानुसार विचार किया जा सकेगा।

(iii) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2003 की मूल वरीयता में इनकी वरीयता अप्रभावित रहेगी।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सिद्धार्थ शंकर चौधरी, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

02.05.18

(सूर्य प्रकाश)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/आरोप–1–664/2014 का0– 2863 /राँची, दिनांक 02 मई, 2018

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट्, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय अपर मुख्य सचिव कोषांग/प्रधान सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, ग्रमीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका/उपायुक्त, दुमका/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दुमका/ श्री सिद्धार्थ शंकर चौधरी, झा0प्र0से0, अवर सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.05.18

सरकार के संयुक्त सचिव।